ग्राम पंचायत बड़ा भंगाल, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023

भाग–एक

1. प्रस्तावना (क):–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप–सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0 प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बड़ा भंगाल, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों का प्रथम अंकेक्षण हि0 प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत बड़ा भंगाल में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:–

प्रधान :–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री मनसा राम	01.04.2021 से 31.03.2023

सचिव :–

क्र0स0	नाम	अवधि
1	श्री शिवजीत सिंह	01.04.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत बड़ा भंगाल के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही एवं बैंक खाते के अन्तशेष में भारी अन्तर पाया जाना।	0.68
		अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना ।	155.67
2	6	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना ।	0.03
3	7	रॉयल्टी की वसूली न करने के फलस्वरूप अनियमित/अधिक भुगतान करना।	0.65
4	8	औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना।	3.13
5	9	प्रियासॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों में राशि का भारी अन्तर पाया जाना	18.56
6	10		

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत बड़ा भंगाल, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 14.12.2023 से 28.12.2023 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया ।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021–22	07/2021	03/2022
2022–23	03/2023	03/2023

अस्वीकरणः— वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. अंकेक्षण शुल्क :—

ग्राम पंचायत बड़ा भंगाल, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/— बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 581 दिनांक 28.12.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्रॉफ्ट संख्या 022161 दिनांक 10.01.2024 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि निदेशक, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—9 को प्रेषित कर दी गई है ।

4. वित्तीय स्थिति :—

ग्राम पंचायत बड़ा भंगाल, विकास खण्ड बैजनाथ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :—

(1) स्वः स्त्रोत :— ग्राम पंचायत बड़ा भंगाल के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021—22	1803994	68068	720611	2592673	23385	2569288
2022—23	2569288	28211	102526	2700025	61309	2638716

(2) **अनुदान** : ग्राम पंचायत बड़ा भंगाल के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट—1** में दिया गया है :—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	पंचायत घर बनाने हेतु हस्तान्तरण राशि	अन्तिम शेष
2021—22	16066730.00	6282809.00	614007.00	22963546.00	4476585.70	0	18486960.30
2022—23	18486960.30	6327192.00	535257.00	25349409.30	4682429.00	5100000.00	15566980.30

बैंक समाधान विवरणी :—

Own Source, 5TH SFC,BASP, 14th FC ,15th FC			
A/c No. 20070004162	KCCB Bir		3448041
A/c No. 50100378020332	HDFC Baijnath		112185.3
A/c No. 87900100056799	HGB Bir		14713385
cash in hand			
		Total	**18273611**
Cash Book Balance on 31.03.2022 (Own Source)			2638716
Cash Book Balance on 31.03.2022			0
Cash Book Balance on 31.03.2022			153686
Cash Book Balance on 31.03.2022			78809
Cash Book Balance on 31.03.2022			621100.3
Cash Book Balance on 31.03.2022			14713385
		Total	**18205696**
		diffrence	**67915**

4.1 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में ₹0.68 लाख का अन्तर पाया जाना :—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.03.2023 को स्वः—स्त्रोत तथा अन्य स्कीमों की रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तिम शेष का अन्तर ₹67,915 पाया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 573 दिनांक 28.12.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या

02 दिनांक 10.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों का मिलान करके आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा ।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही के शेष व बैंक राशि का मिलान करना सुनिश्चित करें व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

4.2 पंचायत के लेखे खातों का रख–रखाव नियमानुसार न करना :–

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख–रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।
2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख–रखाव उक्त नियम एवं निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 574 दिनांक 28.12.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 02 दिनांक 10.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता क व ख का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा ।

अतः नियम, प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

5. निवेशः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 11 के प्रावधानों अनुसार पंचायत अतिरिक्त निधियों (सभा निधि) को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु निवेशित किया जाना अपेक्षित है।

जबकि पैरा 4(1) में उल्लेखिंत वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को बचत खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज अर्जित करने हेतु

निवेशित नहीं किया गया था, जो न केवल उक्त नियम प्रावधानों की अवहेलना है, अपितु सीमित वित्तीय स्त्रोतों के प्रबन्धन की कमी को भी दर्शाता है क्योंकि अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत की सभा निधि में **₹**18,03,994/— से **₹**26,38,716/— की राशि शेष थी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 575 दिनांक 28.12.2023 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र 02 दिनांक 10.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सभा निधि के खाते की छानबीन करने उपरान्त अतिरिक्त राशि को सावधि में जमा करवा दिया जायेगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि प्रस्ताव पारित करके बचत खातों की अपेक्षा ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु सावधि में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा निवेश किये जाने की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप–1 में अपेक्षित निवेश रजिस्टर का रख–रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

6. अनुदान राशि ₹155.67 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा–निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट–1**) के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान ₹1,55,66,980/— की राशि उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा।

उक्त शेष अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौत्तरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण

सम्बन्धित संस्था को किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. पंचायत राजस्व ₹0.03 लाख का वसूली हेतू शेष पाया जानाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव फार्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2023 को बकाया राशि की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2021–22 में ₹50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष व वर्ष 2022–23 में ₹100/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2023 को निम्न विवरणानुसार पंचायत का कुल राजस्व ₹3,000/– सम्पति कर वसूली हेतु शेष थाः–

सम्पति कर :–

वर्ष	अथशेष (₹)	गृहकर की माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2021–22	50	8400	8450	8350	100
2022–23	100	16800	16900	13900	3000

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकडों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 576 दिनांक 28.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 02 दिनांक 10.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये जायेंगे तथा बकाया राशि ₹3,000/– है वह शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः वस्तुस्थिति एवं अंकेक्षण को दिये आश्वासन के अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

8. आपूर्तिकर्ता के बिलों से राशि ₹0.65 लाख की रॉयल्टी की कटौती न करना :–

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रॉजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को निम्न विवरणानुसार ₹ 65,433/– का अनियमित भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 577 दिनांक 28.12.2023 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 02 दिनांक 10.01.2024 सूचित किया गया कि रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है। अतः भविष्य में रॉयल्टी की कटौती करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार ट्रॉजिट पास की अनुपस्थिति

में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 % पैनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः ₹65,433/– के अनियमित भुगतान को या तो पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा नियमानुसार वसूली उचित स्त्रोत से करके हि0 प्र0 सरकार के आय लेखा शीर्षकः "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fee and Royalities, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :–

बिल का विवरण	मद नाम	मात्रा (cft)	मात्रा (cum)	निर्धारित फैक्टर	मात्रा मिट्रिक टन	रॉयल्टी (प्रति मि0 टन)	राशि
प्रस्तुत परिशिष्ट अनुसार वर्ष 2021–22	रेत	800	22.65	1.62	36.69	60	2201.00
	बजरी	994	28.15	1.52	42.78	60	2567.00
	बोल्डर	8445	239.16	2.24	535.71	60	32143.00
	ईटें	3635					182.00
						कुल :	37093.00
प्रस्तुत परिशिष्ट अनुसार वर्ष 2022–23	रेत	350	9.91	1.62	16.05	80	1284.00
	बजरी	1950	55.22	1.52	83.93	80	6714.00
	बोल्डर	1430	40.49	2.24	90.69	80	7255.00
						कुल :	15253.00
				कुल 2021–22 व 2022–23			52346.00
					पैनल्टी 25 %		13087.00
					कुल योगः		65433.00

9. औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹3.13 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित हैं ।

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹ 3,12,557/– के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया था एवं समुचित आपूर्ति आदेश के अभाव में प्राप्त सामग्री की माँग अनुरूप होने की और बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं हो सकी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 578 दिनांक 28.12.2023 द्वारा तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 02 दिनांक 10.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि किये गये क्रय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली जायेगी ।

अतः क्रय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लेकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें एवं भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही क्रय करना सुनिश्चित किया जाये।

वाउचर संख्या व दिनांक	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि	कार्य का नाम
73, 30.03.22	बिल नं0 545 दि0 09.11.20, गुज्जर राम	तखते चराई	29680.00	नि0 बनगोड़ू पुल कालीहणी BASP
74, 30.03.22	बिल नं0 शून्य दि0 09.09.20, भगवती जनरल स्टोर	सरिया तारें इत्यादि	12850.00	नि0 बनगोड़ू पुल कालीहणी BASP
75, 30.03.22	बिल नं0 शून्य दि0 20.09.20, जोगिन्द्र पाल	सरिया ढलुवाई	9900.00	नि0 बनगोड़ू पुल कालीहणी BASP
9,10,11 07.06.22	बिल नं0 682,688,684 दि0 06.06.22, भगवती जनरल स्टोर	सरिया पाईपें इत्यादि	104087.00	नि0 शौचालय अप्पर गॉव 14th FC

60,61,62, 02.01.23	बिल नं0 05 दि0 19. 08.22, जोगिन्द्र पाल	सरिया, पाईपें ढलुवाई	85800.00	नि0 शौचालय अप्पर गॉव 14th FC
69, 07.03.23	बिल नं0 01 दि0 02. 09.22, राम चन्द	तखते चराई	30260.00	नि0 शौचालय अप्पर गॉव 14th FC
70, 07.03.23	बिल नं0 01 दि0 03. 08.22, राम चन्द	तखते चराई	30260.00	नि0 शौचालय अप्पर गॉव–2 14th FC
83, 31.03.23	बिल नं0 शून्य दि0 02.09.22, हाडू राम	दरवाजे चौखट	9720.00	नि0 शौचालय अप्पर गॉव–2 14th FC
			312557.00	

10. प्रिया सॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों में ₹18.55 लाख की राशि का भारी अन्तर पाया जानाः–

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में मिशन प्रोजैक्ट प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि0प्र0 कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ–साथ हि0प्र0 पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अन्तर्गत ई–पंचायत में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल व प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो खाते प्रिया सॉफ्टवेयर में बनाये जा रहे है उनका मैनुअल रोकड़ बही व बैक खातों से मिलान न होने के कारण ₹18,55,570.00 की राशि का निम्नविवरणानुसार भारी अन्तर पाया गयाः–

31.03.2023 को प्रिया सॉफ्टवेयर में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	2,00,61,266.30
31.03.2023 को मैनुअल में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	1,82,05,696.30
अन्तर	₹	18,55,570.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 579 दिनांक 28.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 02 दिनांक 10.01.202423 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि प्रियासॉफ्ट बेबसाईट बाधित होने के कारण अन्तर है। उक्त अन्तर को ठीक कर दिया जायेगा।

अतः प्रिया सॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों के अन्तर को ठीक करने उपरान्त वस्तुस्थिति अनुसार कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

11. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राकल्लन, माप पुस्तिका व उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारेः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार कनिष्ठ अभियन्ता स्तर पर करवाये गये विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश प्राक्कलन व उपयोगिता प्रमाण इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके अभाव में किये गये कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर पर व्यय, खपत एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। जोकि लेखा परीक्षा के प्रति न सिर्फ उदासीनता को परिलक्षित करता है अपितु निर्माण कार्यों में हुए व्यय को भी सन्देहजनक बनाता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 580 दिनांक 28.12.2023 द्वारा अवगत करवाया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 02 दिनांक 10.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया कि कुछ कार्य प्रगति पर हैं व कुछ कार्य कनिष्ठ अभियन्ता स्तर के है जिन्हें पूर्ण करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को सूचित करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

1	नि0 सुरक्षा दिवार कालीहणी नाला BASP
2	नि0 बनगोडू पुल कालीहणी BASP
3	नि0 शौचालय खटटल 14th FC
4	नि0 खच्चर रास्ता सरगद्वारी से घराट नाला 14th FC
5	पंचायत सामुदायिक भवन बडा भंगाल स्थित कोटली 14th FC
6	नि0 रास्ता फाली से अप्पर गाँव की ओर 14th FC
7	नि0 रास्ता कटा सप्पड से घराट की ओर 14th FC
8	नि0 रास्ता कातकू राम के घर से कुशल के घर तक

12. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

क्र0 सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30

3	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
4	अनुदान रजिस्टर	8	34
5	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
6	बजट प्राकल्लन	11, 12	37, 38
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (V)
10	वर्गीकृत सार	8	29 (4)

13. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

14. मस्ट्रोलों को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करवाना :–

पंचायत द्वारा लाखों रूपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाये गये तथा उन्हें मस्ट्रोलों पर भुगतान किया गया था परन्तु हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (1) तथा 108 के अनुसार निर्माण कार्यों के मस्ट्रोल को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से उक्त नियमानुसार सत्यापित नहीं करवाया गया था।

अतः उक्त के अभाव में भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये अमल में लाई गई सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

15. **लघु आपित्त विवरणिका :–** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

16. **निष्कर्ष :–**लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

21 MAR 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का0/प्रति

1560-1564

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)388/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत बड़ा भंगाल, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

21 MAR 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का0/प्रति

परिशिष्ट–1

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Bara Bhangal" for the year end 2021-22

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Deposit Work (Fund transfer to XEN RD for the construction of Panchyat Ghar at Bir	Closing Balance
1	5 SFC	195896	181140	0	377036	220270		156766
2	BASP	81183	287000	0	368183	305292		62891
3	14TH FC	12560341	15248	402196	12977785	3763700.7	0	9214084.3
4	15TH FC	3229310	5612098	211811	9053219	0		9053219
5	MNREGA	0	187323	0	187323	187323		0
	Total Rs.	16066730	6282809	614007	22963546	4476585.7		18486960.3

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Bara Bhangal" for the year end 2022-23

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	interest	Total	Expenditure		Closing Balance
1	5 SFC	156766	247740	0	404506	250820		153686
2	BASP	62891	47000	0	109891	31082		78809
3	14TH FC	9214084.3	4200	234907	9453191.3	3732091	5100000	621100.3
4	15TH FC	9053219	5359816	300350	14713385	0		14713385
5	MNREGA	0	668436	0	668436	668436		0
	Total Rs.	18486960.3	6327192	535257	25349409.3	4682429	5100000	15566980.3

Balance as per Bank on 31.03.22		
1 Own Source, 5TH SFC,BASP, 14thFC, ,15th FC		
A/c No. 20070004162 KCCB Bir		3448041
A/c No. 50100378020332 HDFC Baijnath		112185.3
A/c No. 87900100056799 HGB Bir		14713385
cash in hand		
	Total	18273611.3
Cash Book Balance on 31.03.2022 (Own Source)		2638716
Cash Book Balance on 31.03.2022		153686
Cash Book Balance on 31.03.2022		78809
Cash Book Balance on 31.03.2022		621100.3
Cash Book Balance on 31.03.2022		14713385
	Total	18205696.3
	diffrence	-67915

Panchayat Secretary
Gram Panchayat. Bara Bhangal
Dev. Block Baijnath (Kangra) H.P.

Financial Position of Own sources in r/o GP Bara Bhangal

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Closing Balance
2021-22	1803994	68068	720611	2592673	23385	2569288
2022-23	2569288	28211	102526	2700025	61309	2638716

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bara Bhangal
Dev. Block Baijnath (Kangra) H.P.

परिशिष्ट - 2
(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 8 के सन्दर्भ में)

GRAM PANCHAYAT BARA BHANGAL DEV. BLOCK BAIJNATH

Financial Year 2021-2022

Sr. No.	Name of Work	Head	Vendor Name	Voucher No. and Date	Bill No. and Date	Sand (CFT)	Bajri (CFT)	Boulder (CFT)	Bricks	Amount
1	C/o Path Govind Ram house to Ravi Pull towards	14 th FFC	Vishvjeet	81, 31/03/2022	04, 03/08/2021		194 CFT	475 CFT		37100
2	C/o Khachhar Path sargdwari to gharat nala towards	14 th FFC	Prem Chand	89, 31/03/2022	01, 05/08/2021 02, 16/08/2021 03, 30/08/2021 04, 03/09/2021 05, 18/09/2021 06, 24/0.9/2021 07, 08/10/2021 08, 20/10/2021			6700 CFT		341100
3	C/o khachhar jamu tapa to masadu towards phase- 2	14 th FFC	Dhan kumar	91, 31/03/2022	04, 03/09/2021 05, 18/09/2021			1270 CFT		58400
4	C/o Panchayat **Samudayak** bhawan bara bhangal **at bir**	14 th FFC	Suresh kumar	95, 31/03/2022	572, 02/03/2022 573, 03/03/2022 574, 04/03/2022	800 CFT	800 CFT		3635 no.	116350
					Total	800 cft.	994 cft	8445 cft	3635 No.	

Financial Year 2022-2023

Sr. No.	Name of Work	Head	Vendor Name	Voucher No. and Date	Bill No. and Date	Sand (CFT)	Bajri (CFT)	Boulder (CFT)	Bricks	Amount
5	C/o Community toilet upper village	14 th FFC	Ramesh Kumar	80, 29/03/2023	02, 02/08/2022			390 CFT		18000
6	C/o Community toilet upper village phase 2	14 th FFC	Ramesh Kumar	81, 29/03/2023	01, 05/06/2022			390 CFT		18000
7	C/o Path phali to upper village	14 th FFC	Ramesh Kumar	82, 29/03/2023	03, 02/10/2022		700 CFT			47500
8	C/o Panchayat Samudayak bhawan bara bhangal at bir	14 th FFC	Suresh kumar	88, 31/03/2023	937, 08/03/2023	350 CFT	500 CFT			41750
9	C/o Path phali to **upper village**	14 th FFC	Ramesh Kumar	91, 31/03/2023 91/1, 31/03/2023	04, 09/10/2023 05,10/10/2023		750 CFT	650 CFT		87000
					Total	350 cft	1950 cft	1430 cft		

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bara Bhangal
Dev. Block Baijnath (Kangra) H.P.